

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 22, सोमवार, श०के 1947- जनवरी 12, 2026 Pausa 22, Monday, Saka 1947- January 12, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 17, 2025

संख्या:47/भू.अ./ज.स./2025/1787-1791:-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सीमलिया कस्बा हेतु फ्लड डायवर्जन कार्य के लिए भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, कोटा को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) दिगोद होंगे।

विवरण

Construction of Flood Diversion Works for Seemliya Town, Tehsil Digod, District Kota के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास कार्य में उचित प्रतिवेदन एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत।

प्रस्तावित जिला – कोटा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	तहसील	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी का नाम
1	सीमलिया कस्बे हेतु फ्लड डायवर्जन का कार्य (Flood Diversion Works for Seemliya Town)	सीमलिया	सीमलिया	दिगोद	कोटा	भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, दिगोद

फार्म-2
(देखें-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क) परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन मण्डल, कोटा
प्रस्तावित योजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विवरण, सामाजिक प्रभाव आकलन के अन्तर्गत आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	सीमलिया कस्बा, तहसील दीगोद, जिला कोटा में Construction of Flood Diversion Works इस योजना के अन्तर्गत कुल भूमि 1.63 हैक्टेयर (निजी + सरकारी भूमि) अधिग्रहण प्रस्तावित है।
(ख) सामाजिक प्रभाव आकलन के मुख्य उद्देश्य और सम्पूर्ण क्रियाकलाप जिनमें (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयाँ सम्मिलित हों।	(i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई
(ग) यदि ग्राम सभा और/या भू-स्वामी की सहमति आवश्यक हो तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना चाहिए।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
(घ) सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए समय सीमा और सामाजिक प्रभाव आकलन प्रक्रियाओं की रीति के साथ अपेक्षित प्रतिवेदन (Social Impact Assessment Report एवं Social Impact Management Plan) योजना निर्दिष्ट की जानी होगी।	अधिनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ङ) अधिसूचना के दौरान इस आयाम का कथन कि प्रलोभन या धमकी के प्रयास से जानकारी अंकित और शून्य हो जाएगी।	हाँ
(च) सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई को सम्पर्क करने संबंधी जानकारी।	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खंड, कोटा

महेश कुमार राठी,
उप सचिव एवं अधी. अभि. (लैण्ड बैंक),
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान जयपुर।